

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT
DELHI SACHIVALAYA, I.P. ESTATE: NEW DELHI-110002

Notification No. 02/2022-State Tax (Rate)

Dated: the 27th June, 2022

No. F.3(7)/Fin.(Exp-I)/2022-23/DS-I/538th - In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 and sub-section (1) of section 16 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby exempts the intra-state supplies of goods, the description of which is specified in column (3) of the table below, falling under the tariff item, sub-heading, heading or Chapter, as specified in the corresponding entry in column (2) of the said table, from so much of the state tax leviable thereon under section 9 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017) as is in excess of the amount calculated at the rate specified in the corresponding entry in column (4) of the said table and subject to the relevant conditions annexed to this notification, the condition number of which is mentioned in the corresponding entry in column (5) of the said table:

Table

Sl. No.	Tariff item, sub-heading, heading or Chapter	Description	Rate	Condition No.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	6815	Fly ash bricks or fly ash aggregate with 90 per cent. or more fly ash content; Fly ash blocks	3%	1
2.	6901 00 10	Bricks of fossil meals or similar siliceous earths	3%	1
3.	6904 10 00	Building bricks	3%	1
4.	6905 10 00	Earthen or roofing tiles	3%	1

Explanation. –

(i) For the purposes of this notification, “Tariff item”, “sub-heading”, “heading” and “Chapter” shall mean respectively a tariff item, sub-heading, heading and chapter as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975(51 of 1975).

(ii) The rules for the interpretation of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), including the Section and Chapter Notes and the General Explanatory Notes of the First Schedule shall, so far as may be, apply to the interpretation of this notification.

ANNEXURE

Condition No.	Condition
1.	(a) credit of input tax charged on goods or services used exclusively in supplying such goods has not been taken; and (b) credit of input tax charged on goods or services used partly for supplying such goods and partly for effecting other supplies eligible for input tax credits, is reversed as if supply of such goods is an exempt supply and attracts provisions of sub-section (2) of section 17 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) and the rules made there under.

2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 2022.

By Order and in the Name of the

Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,


(Manoj Kumar)

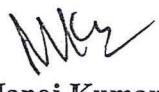
Dy. Secretary I (Finance)

No. F.3()/Fin.(Exp-I)/2022-23/DS-I/538

Dated: the 27th June, 2022

Copy forwarded for information to:-

1. The Principal Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi.
2. The Additional Chief Secretary (GAD), Govt. of NCT of Delhi with the request to publish the notification in Delhi Gazette Part-IV (Extraordinary) in today's date.
3. The Principal Secretary (Finance), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
4. The Commissioner, State Tax, Delhi, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
5. The Additional Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
6. The Secretary to Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
7. The Additional Secretary (Law), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
8. Joint Director, State Resources Division, Finance Department, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi.
9. The P.S. to the Leader of Opposition, 29, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi.
10. OSD to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
- ✓ 11. Website.
12. Guard File.


(Manoj Kumar)

Dy. Secretary I (Finance)

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग चार में प्रकाशनार्थ)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
वित्त (व्यय- I) विभाग
दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002

अधिसूचना संख्या 02/2022-राज्य कर (दर)

दिनांक: 27 जून, 2022

सं0फा0 03(7)/वित्त (व्यय- I)/2022-23/डीएस- I/538: दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03), की धारा 11 की उप धारा (1) और धारा 16 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, ऐसे माल की अंतःराज्यीय पूर्ति को, जिसका वर्णन नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है और जो उक्त सारणी के कॉलम (2) की तत्सम्बन्धी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट टैरिफ मद, उप शीर्ष, शीर्ष या अध्याय के अंतर्गत आता है, पूर्वोक्त सारणी के कॉलम (5) की तत्सम्बन्धी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट इस अधिसूचना के उपाबंध में विनिर्दिष्ट सुसंगत शर्तों के अधीन रहते हुए, दिल्ली माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 9 के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय उतने राज्य कर से छूट प्रदान करते हैं, जो उक्त सारणी के कॉलम (4) में की तत्सम्बन्धी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर पर संगणित रकम से अधिक है :

सारणी

क्रमांक	टैरिफ मद, उप शीर्ष, शीर्ष या अध्याय,	विवरण	दर	शर्त संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	6815	पलाई ऐश की ईंटे या पलाई ऐश जिसमें कुल मिलाकर 90 प्रतिशत या इससे अधिक पलाई ऐश हो; पलाई ऐश ब्लॉक्स	3%	1
2.	6901 00 10	सिलिकामय जीवाश्मी अवचूर्ण या वैसी ही सिलिकामय मिट्टी की ईंट	3%	1
3.	6904 10 00	निर्माणी ईंटे	3%	1
4.	6905 10 00	फर्श की या छत की टाइले	3%	1

स्पष्टीकरण -

(i) इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, "टैरिफ मद", "उपशीर्ष", "शीर्ष" और "अध्याय" से सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट क्रमशः टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष और अध्याय अभिप्रेत होगा।

(ii) उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची, जिसके अंतर्गत पहली अनुसूची के अनुभाग और अध्याय टिप्पण तथा साधारण स्पष्टीकरण टिप्पण भी है, के निर्वचन के लिए नियम, जहां तक हो सके, इस अधिसूचना के निर्वचन के लिए लागू होंगे।

उपाबंध

शर्त संख्या	शर्त
1	(क) माल की पूर्ति में अनन्य रूप से प्रयुक्त माल या सेवाओं पर प्रभारित इनपुट कर का प्रत्यय नहीं लिया गया है ; और (ख) माल की पूर्ति के लिए प्रयुक्त माल या सेवाओं पर प्रभारित इनपुट कर का प्रत्यय और इनपुट कर प्रत्यय के लिए पात्र अन्य पूर्तियों को भागतः प्रभावित करने के लिए, इस प्रकार उलट दिया जाता है कि मानों ऐसे माल की पूर्ति एक छूट प्राप्त पूर्ति है और दिल्ली माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 17 की उपधारा (2) और तदधीन बनाये गए नियम के उपबंध लागू होते ।

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2022 को लागू होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल

के आदेश से तथा उनके नाम पर

(मनोज कुमार)
(मनोज कुमार)

उप सचिव- I (वित्त)

सं0फा0 03()/वित्त (व्यय- I)/2022-23/डीएस- I/ 538

दिनांक: 27 जून, 2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित:

- माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली के प्रधान सचिव, उपराज्यपाल सचिवालय, दिल्ली।
- अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को एक अतिरिक्त प्रति सहित आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग - चार (असाधारण) में प्रकाशनार्थ।
- प्रधान सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- आयुक्त, राज्य कर, दिल्ली, व्यापार भवन, आई.पी. इस्टेट, नई दिल्ली।
- माननीय मुख्यमंत्री के अतिरिक्त सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- वित्त मंत्री के सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- अतिरिक्त सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- संयुक्त निदेशक, राज्य संसाधन विभाग, वित्त विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- नेता प्रतिपक्ष के निजी सचिव, 29, दिल्ली विधान सभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली।
- मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- वेब साईट।
- गार्ड फाइल।

(मनोज कुमार)
(मनोज कुमार)

उप सचिव- I (वित्त)